



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2023 / 133

दर्ज दिनांक : 09.10.2023

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)

-वादी-

बनाम

1. अजय पुत्र जीताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
2. विमला पत्नी जीताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
3. सतवीर पुत्र जीताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
4. सुभाष पुत्र जीताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
5. सुमन पुत्री जीताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
6. सरिता पुत्री जीताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
7. कमला देवी पुत्री कानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
8. जगदीश प्रसाद पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
9. जीताराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
10. बनारसी देवी पुत्री कानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
11. सुगनी देवी पत्नी कानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु (राज.)



-प्रतिवादीगण-

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़
प्रतिवादी एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: पर्चा डिक्री :

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा-53 बाबत् तकसीम आराजी तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 498/10.9644 हैक्ट. कुल किता 1 कुल तादादी 10.9644 हैक्ट. रोही थैलासर तहसील व जिला चूरु मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरु को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि		
1.	राजेन्द्र कुमार पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी लावण्डा तह. फतेहपुर खातेदार	498 मिन	4.2340	बारानी		
		किता 1	4.2340	बारानी		
2.	1. अजय पुत्र जीताराम हि. 1/11 2. विमलादेवी पत्नि जीताराम हि. 1/11 3. सतवीर पुत्र जीताराम हि. 1/11 4. सुभाष पुत्र जीताराम हि. 1/11 5. सुमन पुत्री जीताराम हि. 1/11 6. सरिता पुत्री जीताराम हि. 1/11 7. जीताराम पुत्र कानाराम हि. 1/11 8. कमलादेवी पुत्री कानाराम हि. 1/11 9. जगदीश पुत्र कानाराम हि. 2/11 10. बनारसीदेवी पुत्री कानाराम हि. 1/11 जाति मेघवाल निवासी लावण्डा तह. फतेहपुर खातेदार	498 मिन	3.7004	बारानी		
		498 मिन	2.9530	बारानी		
		किता 2	6.6534	बारानी		
		3.	गै. मु. रास्ता	498 मिन	0.077	बारानी
				किता 1	0.077	बारानी

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। विभाजन की कार्यवाही एवं उसके परिणामस्वरूप किया जाने वाला बंटवारा बैंक के पूर्ववर्ती अधिकारों, बंधक अथवा चार्ज के अधीन रहेगा। संबंधित बैंक को विधि अनुसार अपना बकाया वसूल करने एवं विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरु (चूरु)